<u>न्यायालयः—दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी तहसील</u> <u>बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.</u>

<u>आपराधिक प्रकरण.क.420 / 2013</u> संस्थित दिनांक—30 / 05 / 2013

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाडा, जिला बालाघाट म०प्र०।

.....अभियोजन

विरुद्ध

सुभाष कुमार कारस**र्पे** पिता घनश्याम उम्र—33 वर्ष जाति गोवारा टैगोर वार्ड बरघाट रोड़ सिवनी, हाल—मुकाम बीजाटोला(परसवाड़ा) जिला बालाघाट म.प्र. अभियुक्त

—ः <u>निर्णय</u> ::—... —:दिनांक—<u>23/02/2018</u> को घोषित:—

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 विकल्प में धारा—429 एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा—146/196, 56/192 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—28.04.2013 को शाम करीब 7:30 बजे ग्राम लिंगा बाजार चौक मेन रोड पर, थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर 709 क—यू.ए—07/सी—9593 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कर, उक्त वाहन से नुकसानी कारित करने के आशय से या सम्भाव्य जानते हुए कि नुकसान कारित होगा, फरियादी रामचरण की भैंस कीमती 28,000/—रूपये को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु होने से फरियादी रामचरण को रिष्टी कारित कर, उक्त वाहन को बिना बीमा एवं फिटनेस के चलाया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—429 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो.व्ही.एक्ट की धारा—146/196, 56/192 का आरोप राजीनामा योग्य नहीं होने से अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 एवं मो. व्ही.एक्ट की धारा—146/196, 56/192 में प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी रामचरण ऐड़े ने पुलिस थाना परसवाड़ा में दिनांक—30.04.2013 को रिपोर्ट लिखाई थी कि दिनांक—28.04.2013 को वह उसके घर पर था। शाम 7:00 बजे, फरियादी

का पुत्र ठानेश्वर भैंस ढूंढने गया था, थोड़ी देर के बाद वापस आकर बताया था कि परसवाड़ा के 709 गाड़ी के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाही से गाड़ी चलाकर भैंस को टक्कर मार दी है तथा भैंस का बच्चा भी गाड़ी की टक्कर से घायल हो गया है। गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था। फरियादी खबर लगने पर भैंस को देखने गया था भैंस के सिर में चोट लगने से उसका सींग टूट गया था तथा दूसरा सींग हिल रहा था। भैंस के जबड़े में चोट लगी थी पांव में चोट होने से भैंस चल नहीं पा रही थी एवं पड़िया की पसली में भी लगी थी। उसके थोड़ी देर बाद गाड़ी मालिक आया था और नुकसानी देने की बात कहकर चला गया था। फरियादी ने गाड़ी मालिक की प्रतीक्षा की थी किन्तु वह नुकसानी देने से मुकर गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना परसवाड़ा ने अपराध क्रमांक—20 / 13 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

- 4— अभियुक्त को तत्कालीन विद्वान पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा—1 में उल्लेखित धाराओं का अपराध विवरण बनाकर अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाई व समझाई थी तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया था अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष हैं, उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।

6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:-

- 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—28.04.2013 को शाम करीब 7:30 बजे ग्राम लिंगा बाजार चौक मेन रोड पर, थाना परसवाड़ा अंतर्गत लोकमार्ग पर वाहन मेटाडोर 709 क—यू.ए—07/सी—9593 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया था ?
- 2. क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा एवं बिना फिटनेस के चलाया था ?

विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय बिन्दू कमांक-1 का निराकरण:-

7— ठानेश्वर ऐड़े अ.सा.07 का कहना है कि घटना दिनांक 29.04.2013 की होगी। घटना ग्राम लिंगा बाजार चौक मेन रोड़ की है। घटना के समय साक्षी

खेत से भैंस चराकर आ रहा था। परसवाड़ा के बाजारी सेठ की पिकअप गाड़ी ने भैंस व पड़िया को टक्कर मार दी थी। गाड़ी कौन चला रहा था साक्षी ने नहीं देखा था। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकर किया है कि उसने पुलिस को बयान में बताया था कि घटना दिनांक 28.04.2013 की बाजार चौक पीपल के पेड़ के पास बाजारी सेठ परसवाड़ा वाले की दुकान के पास की सात बजे की है। मेटाडोर गाड़ी का नम्बर यू.ए.07/सी—9593 था। वाहन चालक ने मेटाडोर को तेजी से चलाकर साक्षी की भैंस व पड़िया को टक्कर मार दी थी। वाहन चालक वाहन को खड़ा करके भाग गया था। घटना के दिन वाहन मालिक बाजारी सेठ आया था, उसने कहा था कि रिपोर्ट मत करो। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 29 अप्रैल 2013 की लिंगा बाजार चौक की मेन रोड़ की है। घटना के समय वह घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इसलिए साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त वाहन को तेज गित व लापरवाही से चला रहा था।

- 8— रामचरण ऐडे अ.सा.01 का कहना है घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को भैंस घर पर नहीं आयी थी इस कारण उसका पुत्र ठानेश्वर भैंस लेने गया था। साक्षी के पुत्र ने साक्षी को आकर बताया था कि बजारी सेठ के मेटाडोर चालक ने भैंस को टक्कर मार दी है। तब साक्षी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना परसवाड़ा में लेखबद्ध करायी थी। साक्षी के समक्ष पुलिस ने घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी.02 तैयार कर नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया था। साक्षी को ठानेश्वर ने उक्त दुर्घटना मेटाडोर के चालक की लापरवाही से होना बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय वह एवं ठानेश्वर घटनास्थल पर नहीं थे। घटना दिनांक को वह उसके घर पर था। प्र.पी.02 का मौकानक्शा पुलिस ने थाना परसवाड़ा में तैयार किया था।
- 9— देवेन्द्र अ.सा.02 का कथन है कि घटना वर्ष 2013 की सुबह सात बजे की ग्राम लिंगा की पीपल के पास की है। घटना दिनांक को वह उसकी दुकान के सामने खड़ा था। तभी बैहर तरफ से एक मेटाडोर जिसमें बराती बैठे थे परसवाड़ा की तरफ जा रही थी। उक्त वाहन के चालक ने पीपल के पास रोड किनारे खड़ी भैंस को टक्कर मार दी थी। गाड़ी चालक गाड़ी छोड़कर भाग गया था। साक्षी ने गाड़ी चालक को नहीं देखा था।

4 <u>आपराधिक प्रकरण.क.420 / 2013</u>

10— धानेश्वर कटरे अ.सा.03 का कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की गर्मी के समय की है। घटना के बाद साक्षी को रामचरण ऐंडे ने लिंगा बाजार चौक बुलाया था। साक्षी को रामचरण ने बताया था कि अभियुक्त के 608 वाहन ने भैंस को टक्कर मार दी थी। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि लिंगा बस स्टेण्ड तरफ से एक 709 गाड़ी का चालक तेज रफतार से लापरवाही पूर्वक गाड़ी को चलाकर परसवाड़ा की तरफ जा रहा था। पीपल के पेड़ के पास प्रकरण की घटना कारित की थी एवं वाहन चालक उसके वाहन को खड़ा करके भाग गया था। वाहन परसवाड़ा के बाजारी खरे का था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि उसने घटना होते हुए नहीं देखी थी। घटना किसकी लापरवाही से हुई थी साक्षी को पता नहीं है।

11— आशीष कुमार वैध अ.सा.05 का कथन है कि वह दिनांक 30.04.2013 को पशु चिकित्सालय परसवाड़ा में पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को उन्हें परसवाड़ा से प्र.पी.06 का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने रामचरण ऐडे के घर पहुंचकर एक भैंस एवं एक पड़िया का मेडिकल परीक्षण किया था। जिनका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.07 एवं 08 है जिन पर कमशः ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

12— पुष्पेन्द्र पटले सहायक उपनिरीक्षक अ.सा.04 का कथन है कि दिनांक 30.04.2013 को रामचरण ऐंडे की मौखिक रिपोर्ट पर से अपराध कमांक—20 / 2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। साक्षी को प्रकरण की केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त होने पर साक्षी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर फरियादी की निशांदेही पर प्र.पी.02 का मौकानक्शा बनाया था एवं प्र.पी.03 का नुकसानी पंचनामा बनाया था। रामचरण ऐंडे, थानेश्वर, देवेन्द्र, दामेश्वर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 02.05.2013 को अभियुक्त से साक्षीगण के समक्ष प्र.पी.04 के जप्ती पंचनामा द्वारा एक 709 वाहन यू.ए.07 / सी—9593, आरसी.बुक, परिमट, अभियुक्त का डायिवंग लाईसेंस जप्त किया था एवं अभियुक्त को प्र.पी.05 के गिरफतारी पंचनामा द्वारा गिरफतार किया था। घटना दिनांक को कौन वाहन चला रहा था इस संबंध में नोटिस जारी किया था। जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण कराया था।

13— मनीष खरे अ.सा.06 का कहना है कि उसने न्यायालयीन कथन से चार वर्ष पूर्व पुलिस थाना परसवाड़ा में वाहन 709 रिजस्ट्रेशन नम्बर—यू.ए. 07/सी—9593 का परीक्षण किया था। वाहन चालू हालत में था। वाहन की क्लच, स्टेरिंग, हेडलाईट, ब्रेक, एक्सीलेटर ठीक थे। साक्षी की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वाहन सामने से क्षतिग्रस्त नहीं था।

14— प्रकरण में उभयपक्षों के तर्को पर विचार किया गया ठानेश्वर ऐड़े अ. सा.07 घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पहुंच था। परंतु इस साक्षी ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। इस कारण इस साक्षी को वाहन की गति के बारे में पता नहीं है। रामचरण ऐडे अ.सा.01 भी घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित नहीं था। देवेन्द्र अ.सा.02 ने गाड़ी चालक को गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। धानेश्वर कटरे अ.सा.03 ने घटना होते हुए नहीं देखी थी। किसी भी साक्षी ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में अभियुक्त की पहचान सुनिश्चित नहीं की है। इस कारण इन साक्षीगण की साक्ष्य से इस विचारणीय बिंदु की घटना अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। प्रकरण के अन्य किसी साक्षीगण की साक्ष्य से भी अभियुक्त के विरूद्ध इस विचारणीय बिंदु की घटना प्रमाणित होने की साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध यह प्रमाणित नहीं माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन की उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलांकर मानव जीवन संकटापन्न किया था।

विचारणीय बिन्दु कमांक-2 का निराकरणाः-

15— पुष्पेन्द्र पटले अ.सा.04 का कथन है कि उन्हें वाहन मालिक बाजारी खरे द्वारा घटना दिनांक को अभियुक्त सुभाष के द्वारा वाहन चलाया जाना बताया था। वाहन का घटना दिनांक को बीमा एवं फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं था। अनुसंधान अधिकारी की इस साक्ष्य का बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में खण्ड़न नहीं हुआ है। इस कारण यह प्रमाणित माना जाता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर प्रकरण में जप्तशुदा वाहन को बिना बीमा एवं बिना फिटनेस के चलाया था।

16— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध का आरोप प्रमाणित करने में

6 आपराधिक प्रकरण.क.420 / 2013

असफल रहा है अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है एवं प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध मोटर व्ही.एक्ट की धारा— 146/196, 56/192 का आरोप प्रमाणित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को मोटर व्ही.एक्ट की धारा— 146/196, 56/192 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को मोटर व्ही.एक्ट की धारा—146/196 के आरोप में 500/—(पांच सौ) रूपये के अर्थदण्ड से एवं मोटर व्ही.एक्ट की धारा—56/192 के आरोप में 2,000/—(दो हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि की अदायगी नहीं किये जाने पर अभियुक्त को कमशः 15—15 दिन का साधारण कारावास भुगताया जाये।

- 17— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।
- 18— प्रकरण में अभियुक्त का धारा—428 दं.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 19— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मय दस्तावेजों के आवेदक की सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात आवेदक के पक्ष में समाप्त समझा जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यू

(दिलीप सिंह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील बैहर जिला–बालाघाट